

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

सेवा में,

पत्रांक: 1002 /14-1, दिनांक: अलीगढ़, दिसम्बर: 07, 2020

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex. Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0- 537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/40/2017/एफ0सी0/941 दिनांक 28.09.2020, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग-अलीगढ़ का पत्रांक 1564/14-1 दिनांक 23.11.2020 (छाया प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग-अलीगढ़ में संस्तुति सहित उपलब्ध कराया है, जो कि यथावत 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

| क्र0सं0 | Objection | Reply |
|---------|--|--|
| 1 | प्रस्ताव में सूचित किया गया है कि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़ द्वारा प्रश्नगत RO की स्थापना हेतु अनुमति निर्गत की गई थी एवं उक्त के आधार पर RO की स्थापना की गई। स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। अतः क्यों न वन संरक्षण अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही धार्य की जाए ? इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर, 01 माह के अन्दर प्रेषित करने का कष्ट करें। | अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़ का द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1) |

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1002 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), चेल्ड ट्रेड टावर, 1105-06 ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग-अलीगढ़ के संदर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Shulham Agrawal
10/12/2020